न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 14 / 2020 / अपील

1. मनकूरी देवी पत्नि बनवारीलाल उर्फ लीला पुत्र बोदूराम
2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बनवारीलाल
3. रमेश कुमार पुत्र बनवारीलाल
4. पंकज कुमार पुत्र बनवारीलाल
5. सन्जू कुमारी पुत्री बनवारीलाल

समस्त जाति बलाई निवासी माजीपुरा ग्राम पंचायत डूकिया तहसील दांतरामगढ जिला सीकर।

– अपीलान्ट

ब ना म

1 सांवरमल पुत्र बोदूराम जाति बलाई निवासी माजीपुरा ग्राम पंचायत डूकिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

2 सरपंच, ग्राम पंचायत डूकिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

3 उप तहसीलदार महोदय, पलसाना तहसील कार्यालय पलसाना दांतारामगढ जिला सीकर।

4 तहसीलदार महोदय, दांतारामगढ जिला सीकर।

– रेस्पोडेन्टस

अपील नामान्तरण संख्या 105 दिनांक 29.01.1983 बतरदीक ग्राम पंचायत द्वारा

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रामकृपाल वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पो. संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

नि र्ण य दिनांक– 27.06.2022

1 अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का डूकिया के गिरदावर हल्का डूकिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 19 / 306 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.01 हैक्टर, गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 20 रकबा 1.70 हैक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.53 हैक्टर अवस्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 7 / 6, 7 / 6 ,7 / 6 कुल

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

किता 3 कम कस्बा 10 बीघा अवस्थित है। जो अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की कब्जा काश्त पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि है। अपीलाण्ट के पिता बनवारीलाल की मृत्यु दिनांक 30.01.2017 को हो चुकी है।

अपीलाण्ट का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

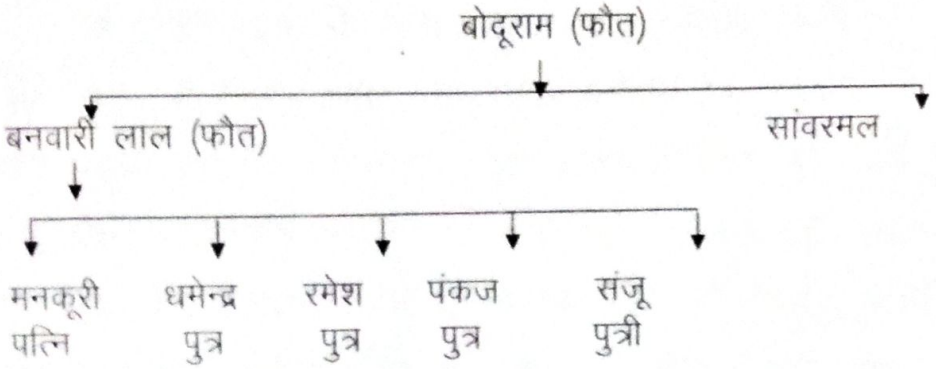

अपीलाण्ट के पति/पिता वास्तविक नाम बनवारीलाल है। अपीलाण्ट के पति/पिता बनवारीलाल के पिता के फौत होने पर जब नामान्तरण विरासत को खोला गया तो अपीलांट के घरेलू नाम लीला को ही अपीलांट का नाम बता दिया। जिससे समस्त राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी में अपीलांट का नाम लाला ही दर्ज हो गया जबकि अपीलांट के पति/पिता का सही नाम बनवारीलाल है तथा अपीलांट के पति/पिता सभी दस्तावेज बनवारी लाल पुत्र बोदूराम के नाम से हैं यथा बिजली बिल, भारतीय निर्वाचन आयोग का चुनाव पहचान पत्र, ग्राम पंचायत डूकिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि सभी में अपीलांट के पति/पिता का नाम बनवारी लाल दर्ज है, इस कारण अपीलांट राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में भी अपना सही नाम बनवारीलाल संशोधन कर दर्ज करवाना चाहता है। अपीलांट ने जब के सी सी कार्ड बनाने हेतु जमाबन्दी की प्रतिलिपि निकलवायी, तब प्रार्थी/अपीलांट को उक्त गलती की जानकारी हुयी, तब अपीलांट को उक्त नामान्तरण संख्या 105 व पुरानी जमाबन्दी व वर्तमान जमाबन्दी तथा नामान्तरण की नकल निकलवायी, तब अपीलांट को सर्वप्रथम उक्त गलती का अहसास हुआ। इस प्रकार जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। उक्त गलत नामान्तरण की अपील निरस्त करवाने हेतु कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, फिर भी परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलांट के पति/पिता के निक नेम के आधार पर भरा उक्त नामान्तरण अपीलांट के विधिक अधिकारों पर गलत प्रभाव डालता है, इसलिए अपीलांट चुनौतीग्रस्त नामान्तरण निरस्त करवाने तथा सही नाम का

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

नामान्तरण भरवाने के अधिकारी है। अंत में अपील प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 105 दिनांक 29.01.1983 बतस्दीक ग्राम पंचायत डुकिया को खारिज कर अपीलान्ट्स के पिता का वास्तविक सही नाम से नामान्तकरण पुनः तस्दीक करने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 ता 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील रामकृपाल हाजिर। वकील अपीलांट व वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील आवेदन का जबाब न देकर सीधा ही बहस हेतु निवेदन किया। अपील आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. हमने सुनी गयी उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 105 दिनांक 29.01.1983 में अपीलान्ट्स के पिता का नाम लीला पुत्र बोदुराम दर्ज किया हुआ है। जबकि अपीलान्ट्स के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में बनवारी लाल पुत्र बोदुराम दर्ज है। जिससें स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स के पिता के नाम में भिन्नता है। अतः अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 105 निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामांतरण संख्या 105 दिनांक 29.01.1983 बतस्दीक ग्राम पंचायत डुकिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः अपीलान्ट्स के पिता के वास्तविक व सही नाम के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ